

**अनुदान संख्या 105 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**GRANT No. 105 – MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original 12733,00,00	16183,04,00	15676,06,36	-506,97,64
पूरक	Supplementary 3450,04,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			499,66,01

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹50697.64 लाख) अगस्त, 2011, नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹345004.00 लाख के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹50697.64 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹ 345004.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/  
हुआ:-

Savings/excess occurred under the following  
major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare			
मु.	O. 65945.00	35330.05	35129.01	-201.04
पू.	S. 204.00			
पु.	R. -30818.95			
मुख्य शीर्ष "2236"	Major Head "2236"			
पोषण	Nutrition			
मू.	O. 6344.00	2061.88	1547.54	-514.34
पु.	R. -4282.12			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O. 126500.00			
पू.	S. 34500.00	..	..	..
पु.	R. -161000.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State			
अनुदान	Governments			
मु.	O. 1060252.00			
पू.	S. 309325.00	1518110.00	1518063.91	-46.09
पु.	R. 148533.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	Grants-in-aid to Union			
को सहायता अनुदान	Territory Governments			
मू.	O. 12019.00			
पू.	S. 975.00	10628.00	10673.38	+45.38
पु.	R. -2366.00			

(I) ₹225872.00 लाख का प्रावधान उनचास शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से ₹224976.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹225872.00 lakhs remained wholly unutilized under forty nine heads; of these ₹224976.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235"- "समाज कल्याण"-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare"-

(क) "बाल कल्याण" -

(a) "Child Welfare" -

(i) "विश्व बैंक आई.सी.डी.एस.परियोजना" - ₹7500.00 लाख योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(i) "World Bank I.C.D.S. IV Project"- ₹7500.00 lakhs - due to non-receipt of approval from the Planning Commission.

(ii) "बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकद अंतरण स्कीम" - ₹1000.00 लाख राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) "Conditional Cash Transfer Scheme for Girl Child with insurance cover"- ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

- (ख) “महिलाओं का कल्याण - राष्ट्रीय महिला ऋण निधि” - ₹9000.00 लाख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पुनर्गठन के कारण थे।
- (b) “Women’s Welfare - National Credit Fund for Women (RMK)”- ₹9000.00 lakhs – due to restructuring of Non-Banking Financial Company.
- (खा) मुख्य शीर्ष “2236” - “सामान्य - अन्य व्यय - राष्ट्रीय पोषण मिशन” - ₹4300.00 लाख योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।
- (B) Major Head “2236” – “General - Other Expenditure - National Nutrition Mission”- ₹4300.00 lakhs - due to non-receipt of approval from the Planning Commission.
- (गा) मुख्य शीर्ष “2552”-
- (C) Major Head “2552”-
- (क) “समाज कल्याण - बाल कल्याण”
- (a) “Social Welfare - Child Welfare”-
- (i) “कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम” - ₹850.00 लाख;
- (i) “Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers”- ₹850.00 lakhs;
- (ii) “राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान” - ₹110.00 लाख;
- (ii) “National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD)”- ₹110.00 lakhs;
- (iii) “एकीकृत बाल विकास सेवाएं”- ₹58551.00 (₹34500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);
- (iii) “Integrated Child Development Services”- ₹58551.00 lakhs (including supplementary grant of ₹34500.00 lakhs);
- (iv) “एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम”- ₹2700.00 लाख;
- (iv) “Integrated Child Protection Scheme (ICPS)”- ₹2700.00 lakhs;
- (v) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम”- ₹6100.00 लाख;
- (v) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)”- ₹6100.00 lakhs;
- (vi) “राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग” - ₹119.00 लाख;
- (vi) “National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)”- ₹119.00 lakhs;
- (ख) “समाज कल्याण -महिला कल्याण” -
- (b) “Social Welfare – Women’s Welfare”-
- (i) “अल्पवास गृह”- ₹370.00 लाख;
- (i) “Short Stay Home”- ₹370.00 lakhs;
- (ii) “प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता” - ₹250.00 लाख;
- (ii) “Support to Training and Employment Programme (STEP)” - ₹250.00 lakhs;
- (iii) “केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड”- ₹460.00 लाख;
- (iii) “Central Social Welfare Board” – ₹460.00 lakhs;

- (iv) “स्वाधार” - ₹350.00 लाख;
- (v) “इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना” - ₹4300.00 लाख; और
- (vi) “राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन” - ₹400.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों /निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (vii) “बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास” - ₹1400.00 लाख योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।
- (viii) “राष्ट्रीय महिला ऋण निधि” - ₹1000.00 लाख गैर बैंकिंग वित्त कंपनी का पुनर्गठन किए जाने के कारण थे।
- (ग) “समाज कल्याण - अन्य व्यय - सूचना, जनशिक्षा और प्रकाशन” - ₹500.00 लाख मीडिया योजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के कारण थे।
- (घ) “सामान्य (पोषण) - पोषण, शिक्षा और विस्तार - राष्ट्रीय पोषण मिशन” - ₹1000.00 लाख योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।
- (ङ) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

- (i) “एकीकृत बाल विकास सेवाएँ” - ₹1000.00 लाख;
- (ii) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना” - ₹1400.00 लाख;
- (iii) “इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना” - ₹900.00 लाख; और

- (iv) “Swadhar”- ₹350.00 lakhs;
- (v) “Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojna (CMB Scheme)”- ₹4300.00 lakhs; and
- (vi) “National Mission for Empowerment of Women (NMEW)”- ₹400.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (vii) “Relief to and Rehabilitation of Rape Victims” - ₹1400.00 lakhs - due to non-receipt of approval from the Planning Commission.
- (viii) “National Credit Fund for Women (RMK)” - ₹1000.00 lakhs - due to restructuring of Non-Banking Financial Company.
- (c) “Social Welfare– Other Expenditure – Information, Mass Education and Publication”- ₹500.00 lakhs - due to non-implementation of Media Plans.
- (d) “General (Nutrition) - Nutrition, Education and Extension - National Nutrition Mission (NNM)” - ₹1000.00 lakhs – due to non-receipt of approval from the Planning Commission.
- (e) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (i) “Integrated Child Development Services (ICDS)”- ₹1000.00 lakhs;
- (ii) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG) “- ₹1400.00 lakhs;
- (iii) “Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)”- ₹900.00 lakhs; and

(च) “अनुसूचित जनजाति उप योजना - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹78530.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष “3601”- “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-

(क) “समाज कल्याण - महिला कल्याण” -

(i) “स्वयंसिद्ध” - ₹216.00 लाख;

(ii) “बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास” - ₹12270.00 लाख;

(ख) “समाज कल्याण - बाल कल्याण” -

(i) “विश्व बैंक आईसीडीएस IV परियोजना” - ₹7800.00 लाख;

(ii) “विश्व बैंक आईसीडीएस IV परियोजना - बाह्य सहायता प्राप्त घटक” - ₹17500.00 लाख;

(ग) “सामान्य (पोषण) - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय पोषण मिशन” - ₹4600.00 लाख;

(ङ) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “समाज कल्याण - महिला कल्याण - बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास” - ₹300.00 लाख; और

(ख) “समाज कल्याण - बाल कल्याण - विश्व बैंक आईसीडीएस IV परियोजना” - ₹200.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(f) “Tribal Area Sub-Plan - Integrated Child Development Services (ICDS)”- ₹78530.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(D) Major Head “3601”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-

(a) “Social Welfare - Women’s Welfare”-

(i) “Swayamsidha”- ₹216.00 lakhs;

(ii) “Relief to and Rehabilitation of Rape Victims”- ₹12270.00 lakhs;

(b) “Social Welfare - Child Welfare” -

(i) “World Bank ICDS IV Project”- ₹7800.00 lakhs;

(ii) “World Bank ICDS IV Project-Externally Aided Component”- ₹17500.00 lakhs;

(c) “General (Nutrition) - Other Grants-National Nutrition Mission”- ₹4600.00 lakhs;

(E) Major Head “3602”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Social Welfare – Women’s Welfare - Relief to and Rehabilitation of Rape Victims”- ₹300.00 lakhs; and

(b) “Social Welfare – Child Welfare –World Bank ICDS IV Project”- ₹200.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to non-receipt of approval from the Planning Commission.

(II) मुख्य शीर्ष “2235” - “समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹2852.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3052.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1047.12 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और दादर एवं नागर हवेली से दावे प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” के अंतर्गत ₹6222.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹975.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7197.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹386.14 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2235” - “समाज कल्याण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “बाल कल्याण” -

(क) “कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी शिशुसदन स्कीम” - ₹267.50 लाख की बचत ( ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7651.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) “एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम” - ₹1547.33 लाख की बचत ( ₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम” - ₹659.75 लाख की बचत ( ₹720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा नई स्कीम लागू न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2235” - “Social Welfare - Child Welfare - Integrated Child Development Services (ICDS)” - the original provision of ₹2852.00 lakhs was augmented to ₹3052.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1047.12 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in receipt of claims from Union Territory of Delhi and Dadra and Nagar Haveli.

(III) Under Major Head “3602” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare - Child Welfare - Integrated Child Development Services” - the original provision of ₹6222.00 lakhs was augmented to ₹7197.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹975.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹386.14 lakhs - due to requirement of less funds towards construction of Anganwadi Centres .

(IV) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Child Welfare”-

(a) “Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers” - saving of ₹267.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7651.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to delay in receipt of proposals.

(b) “Integrated Child Protection Scheme (ICPS)” - saving of ₹1547.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from implementing agencies.

(c) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)” - saving of ₹659.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹720.00 lakhs) was due to non-implementation of a new scheme by the State Governments.

- |      |   |     |   |
|------|---|-----|---|
| (खा) | “महिला कल्याण” -  | (B) | “Women’s Welfare”-  |
| (क)  | “कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल” - ₹848.57 लाख की बचत ( ₹898.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानकों का संशोधन किए जाने की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। | (a) | “Hostels for Working Women”- saving of ₹848.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹898.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from implementing agencies owing to revision of the norms.  |
| (ख)  | “प्रशिक्षण और सशक्तीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता” - ₹916.86 लाख की बचत ( ₹1750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।               | (b) | “Support to Training and Employment Programme (STEP)”- saving of ₹916.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1750.00 lakhs) was due to delay in receipt of proposals from implementing agencies.  |
| (ग)  | “अन्य मदें” - ₹674.96 लाख की बचत ( ₹720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।  | (c) | “Other Items”- saving of ₹674.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹720.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme by the competent authority.  |
| (घ)  | “केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड” - ₹228.32 लाख की बचत (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6060.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर सरकारी संगठनों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।        | (d) | “Central Social Welfare Board (CSWB)” - saving of ₹228.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6060.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the Non-Governmental Organisations. |
| (ङ)  | “स्वाधर” - ₹190.79 लाख की बचत ( ₹2650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।  | (e) | “Swadhar”- saving of ₹190.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2650.00 lakhs) was due to delay in receipt of proposals from implementing agencies.  |
| (च)  | “प्रियदर्शनी”- ₹2594.71 लाख की बचत (₹2610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।  | (f) | “Priyadarshini”- saving of ₹2594.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2610.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from the Planning Commission.   |
| (छ)  | “इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ” - ₹471.76 लाख की बचत ( ₹580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा नई स्कीम लागू न किए जाने के कारण हुई।   | (g) | “Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (CMB Scheme)”- saving of ₹471.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.00 lakhs ) was due to non-implemetation of a new scheme by the State Governments.  |
| (ज)  | “राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन” - ₹1092.20 लाख की बचत ( ₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना  | (h) | “National Mission for Empowerment of Women” - saving of ₹1092.20 lakhs (against   |

में) राज्य सरकारों द्वारा राज्य महिला संसाधन केंद्र के लिए लोगों की भर्ती न किए जाने के कारण हुई।

the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs was due to non-recruitment of manpower for the State Resource Centre for Women (SRCW) by the State Governments.

(गा) “अन्य व्यय”-

(C) “Other Expenditure”-

(क) “सूचना, जनशिक्षा और प्रकाशन” - ₹2747.33 लाख की बचत ( ₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मीडिया योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) “Information Mass Education and Publication” – saving of ₹2747.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-finalization of Media Plan.

(ख) “विविध स्कीमों” - ₹142.55 लाख की बचत ( ₹181.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर सरकारी संगठनों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Miscellaneous Schemes”- saving of ₹142.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹181.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from the Non-Governmental Organisations.

(V) मुख्य शीर्ष “2236” - “सामान्य - पोषण शिक्षा और विस्तार - पोषण में एकीकृत शिक्षा” के अंतर्गत ₹433.70 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head “2236”- “General - Nutrition Education and Extension - Integrated Education in Nutrition” - saving of ₹433.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement by Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(VI) Under Major Head “3601”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “समाज कल्याण- महिला कल्याण” -

(A) “Social Welfare – Women’s Welfare”-

(क) “इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (सीएमबी स्कीम)” - ₹13187.96 लाख की बचत ( ₹37660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा नई स्कीम लागू न किए जाने के कारण हुई।

(a) “Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (CMB Scheme)” - saving of ₹13187.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37660.00 lakhs) was due to non-implementation of a new scheme by the State Governments.

(ख) “राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन” - ₹1671.74 लाख की बचत ( ₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य महिला संसाधन केंद्र के लिए कर्मचारियों की भर्ती न किए जाने के कारण हुई।

(b) “National Mission for Empowerment of Women (NMEW)”- saving of ₹1671.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-recruitment of manpower for the State Resource Centre for Women (SRCW).

(खा) “समाज कल्याण- बाल कल्याण” -

(क) “एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम” - ₹4583.19 लाख की बचत (₹19600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम” - ₹4961.22 लाख की बचत (₹53360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा नई स्कीम लागू न किए जाने के कारण हुई।

(गा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(क) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम” - ₹1911.42 लाख की बचत (₹12300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना” - ₹4621.41 लाख की बचत (₹7900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “समाज कल्याण - बाल कल्याण”

(क) “एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम” - ₹440.11 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम” - ₹424.56 लाख की बचत (₹820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(B) “Social Welfare – Child Welfare”-

(a) “Integrated Child Protection Scheme (ICPS)”- saving of ₹4583.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19600.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from the State Governments.

(b) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)”- saving of ₹4961.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53360.00 lakhs) was due to non-implementation of a new scheme by the State Governments.

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(a) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)”- saving of ₹1911.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12300.00 lakhs); and

(b) “Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)”- saving of ₹4621.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of proposals from the State Governments.

(VII) Under Major Head “3602”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Social Welfare – Child Welfare”-

(a) “Integrated Child Protection Scheme (ICPS)”- saving of ₹440.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from Union Territory Governments.

(b) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)”- saving of

तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नई स्कीम लागू न किए जाने के कारण हुई।

₹424.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹820.00 lakhs) was due to non-implementation of a new scheme by the Union Territory Governments.

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(क) “एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹575.11 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) “Integrated Child Development Services (ICDS)” - saving of ₹575.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the relevant areas.

(ख) “राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना” - ₹167.41 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls”- saving of ₹167.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories with legislature.

(गा) “अनुसूचित जनजाति उपयोजना” - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹101.00 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan – Integrated Child Development Services (ICDS)”- saving of ₹101.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the relevant areas.

(VIII) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹211.82 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक थीं।

(VIII) Under three heads savings of ₹211.82 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 43 percent to 73 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई :-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(A) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-

(क) “समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹146083.52 लाख का अधिक व्यय (₹309325.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹942470.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) “Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Development Services” - excess of ₹146083.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹942470.00 lakhs including supplementary grant of ₹309325.00 lakhs); and

(ख) “जनजाति क्षेत्र उपयोजना” - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹68078.33 लाख का अधिक व्यय (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) “Tribal Area Sub-Plan – Integrated Child Development Services (ICDS)” - excess of ₹68078.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(ग) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - एकीकृत बाल विकास सेवाएं” - ₹7649.00 लाख का अधिक व्यय (₹226700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईसीडीएस कार्यकर्ताओं को अदायगी किए जाने और आंगनवाड़ी कामगारों/सहायकों को मानदेय दिए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “समाज कल्याण - महिला कल्याण - इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (सीएमबी स्कीम)” - ₹264.21 लाख का अधिक व्यय (₹460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली सरकार की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ; और

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ” - ₹199.07 लाख का अधिक व्यय दिल्ली सरकार द्वारा कराए गए आधार रेखा सर्वेक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति की बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹96.70 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Child Development Services (ICDS)”- excess of ₹7649.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹226700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment to ICDS Functionaries and Honorarium to Anganwadi Workers/Helpers.

(B) Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-

(a) “Social Welfare - Women’s Welfare - Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (CMB Scheme)”- excess of ₹264.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹460.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet the committed liabilities of the Government of Delhi.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes – Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)” - excess of ₹199.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to increased SC population based on base line survey conducted by the Government of Delhi.

(II) Under one head excess of ₹96.70 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.